



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 53) पटना, बुधवार, 16 जनवरी 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2019

सं0 07/स्था0-28-03/2018-528/परि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, चलन्त दस्ता सिपाही के स्वीकृत पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।— (1) यह नियमावली "बिहार चलन्त दस्ता सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019" कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।— जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार;

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है परिवहन विभाग, बिहार, पटना;

(iv) "संवर्ग" से अभिप्रेत है "बिहार चलन्त दस्ता सिपाही संवर्ग;"

(v) "आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार;

(vi) "भर्ती एजेन्सी" से अभिप्रेत है केन्द्रीय पुलिस चयन पर्वद अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई एजेन्सी;

(vii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

3. संवर्ग का गठन।— (1) इस संवर्ग का पद सोपान निम्नवत होंगे:-

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की प्रास्थिति
1	चलन्त दस्ता सिपाही	मूल कोटि (अराजपत्रित)
2	परिवहन हवलदार	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)
3	प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)

- (2) उक्त पदों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जो समय-समय पर सरकार/वित्त विभाग द्वारा अवधारित किया जाय।

4. भर्ती।—

- (1) इस संवर्ग के नियमित पद के विरुद्ध, राज्य सरकार द्वारा विहित वेतनमान पर एवं विहित प्रक्रिया से, नियुक्ति सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी।
 (2) चलन्त दस्ता सिपाही के सारे पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
 (3) परिवहन हवलदार एवं प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक के सारे पद प्रोन्नति द्वारा वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर क्रमशः योग्य प्रशिक्षित चलन्त दस्ता सिपाही एवं परिवहन हवलदार से भरे जायेंगे।
 (4) इस संवर्ग के मृत सदस्यों के आश्रितों को, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, चलन्त दस्ता सिपाही के स्वीकृत पदों के विरुद्ध राज्य सरकार के नियमानुसार किया जायेगा।

5. सीधी नियुक्ति के लिए अर्हता।— यह एक सशस्त्र बल होगा। अतः शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक योग्यता, उम्र सीमा, अन्य पात्रता मानदंड और चलन्त दस्ता सिपाही के पद के लिए चयन की प्रक्रिया, जैसा कि बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 एवं गृह विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचना द्वारा किये गये अनुगामी संशोधनों में सिपाही के लिए विहित है, वही रहेगी। साथ ही दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का वैध चालक अनुज्ञप्ति अनिवार्य होगी।

6. आरक्षण।— इस संवर्ग में, सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के समय, राज्य में तत्समय प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधान/रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

7. परिवीक्षा अवधि।—

- (1) चलन्त दस्ता सिपाही के पद पर, सीधी भर्ती द्वारा अथवा अनुकम्पा के आधार पर नवनियुक्त कर्मियों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 (2) परिवीक्षा अवधि में ही राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा अवधारित संस्थान से भारी वाहन चालन प्रशिक्षण/अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 (3) परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, चलन्त दस्ता सिपाहियों की परिवीक्षा अवधि छः माह बढ़ायी जा सकेगी। परिवीक्षा की अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पदधारी को सेवा से हटाया जा सकेगा।

8. प्रशिक्षण।—

- (1) नवनियुक्त चलन्त दस्ता सिपाही, एक सशस्त्र बल का अंग होगा एवं परिवहन अधिनियम के तहत बनी, चलन्त दस्ता सिपाही के जानने योग्य नियम, जैसा आयुक्त विहित करें, एवं शस्त्र प्रशिक्षण सहित, वे सारे प्रशिक्षण, जो सिपाही को दी जाती है, प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य होगा। यह अवधि छः माह अथवा सिपाही को दी जाने वाली प्रशिक्षण की अवधि होगी। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इसके पश्चात् हल्के व्यवसायिक एवं भारी व्यवसायिक वाहन के चालन का प्रशिक्षण क्रमशः एक-एक महीना दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान का चयन राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त सोलह महीने का विभागीय व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षु के रूप में विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों में प्रदान की जायेगी, जिसमें कार्यकलाप एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में उपयुक्तता प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें पूर्ण प्रशिक्षित माना जायेगा। यह अवधि परिवीक्षा अवधि होगी एवं इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के पश्चात् वे सेवा सम्पुष्टि के पात्र होंगे। प्रशिक्षण हेतु विहित प्रक्रिया अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट है।

- (2) प्रोन्नत परिवहन हवलदार एवं प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक पद धारकों को, दो माह या राज्य परिवहन आयुक्त, जैसा विहित करें, का पुनाश्रय पाठ्यक्रम (Refresher Course) एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पुनाश्रय पाठ्यक्रम (Refresher Course) एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा-निर्देश तत्समय विभाग द्वारा जारी किया जा सकेगा। यह बल एक सशस्त्र बल होगा जिसे आयुक्त की अधियाचना पर गृह विभाग द्वारा शस्त्र निर्गत किया जायेगा।

9. सम्पुष्टि।— परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के पश्चात् और आयोजित परीक्षा में सफल होने के उपरांत, सेवा सम्पुष्टि के पूर्व विभागीय नियमों की राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा तथा वाहन परिचालन की जाँच में उत्तीर्णता प्राप्त होने के उपरान्त ही सेवा संपुष्ट होगी।

10. वेतनवृद्धि।— इस संवर्ग के विभिन्न पदों पर राज्य सरकार द्वारा, अवधारित वेतनमान में वेतनवृद्धि देय होगा।

11. प्रोन्नति।—

- (1) इस सेवा के मूल कोटि के पद, चलन्त दस्ता सिपाही से भिन्न परिवहन हवलदार एवं प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक के सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। प्रोन्नति के पद निम्नवत् होंगे—

(क) मूल पद	—	चलन्त दस्ता सिपाही
(ख) प्रथम प्रोन्नति का पद	—	परिवहन हवलदार
(ग) द्वितीय प्रोन्नति का पद	—	प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक
- (2) परिवहन हवलदार/प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक कोटि के पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी, जिसकी सेवा सम्पुष्ट हो तथा सेवा अभिलेख संतोषजनक हो।
- (3) चलन्त दस्ता सिपाही के पद से परिवहन हवलदार तथा परिवहन हवलदार के पद से प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि वही होगी जो क्रमशः सिपाही से हवलदार तथा हवलदार से प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि हो।
- (4) प्रोन्नति के उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना प्रोन्नति के लिये आवश्यक होगा।

12. पारस्परिक वरीयता।—

- (1) संवर्ग के उन सदस्यों जिनकी सीधी नियुक्ति किसी कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित चयन प्रक्रिया से भर्ती एजेन्सी की अनुशंसा पर हुई हो, की पारस्परिक वरीयता भर्ती एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये मेधा क्रमानुसार होगी।
- (2) संवर्ग के जो सदस्य इस नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व इस संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त हो चुके हैं वे जबतक अन्यथा कोई आदेश न हो तबतक इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे और संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे। सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी के सिवाय उनकी पारस्परिक वरीयता इस संवर्ग के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि से अवधारित की जाएगी।
- (3) विवाद अथवा विसंगति की दशा में, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग का इस संबंध में विहित किये गये प्रावधानों के अनुसार, वरीयता का अवधारण किया जायेगा।

13. संवर्ग की प्रस्थिति।— राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत वर्गीकरण के अनुसार, इस संवर्ग की प्रस्थिति अवधारित होगी। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

14. स्थानांतरण एवं पदस्थापन।—

- (1) इस संवर्ग के कर्मियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन 'आयुक्त' द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निदेश के अनुरूप होगा।
- (2)(क) चलन्त दस्ता सिपाहियों का स्थानांतरण राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा किया जा सकेगा।
- (ख) किसी भी जिले में पदस्थापित परिवहन हवलदार का स्थानांतरण, राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा किया जा सकेगा।
- (ग) प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक का स्थानांतरण/पदस्थापन, राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के द्वारा किया जा सकेगा।

15. कर्तव्य एवं दायित्व।— इस संवर्ग के सेवक अपनी अधिकारिता में वे सारे कार्य निष्पादित करेंगे जो मोटरयान अधिनियम, 1988, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में विहित है एवं समय-समय पर, आयुक्त द्वारा विहित किया जाय।

16. अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।— इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

17. प्रकीर्ण विषय।— इस नियमावली या इसके अधीन जारी किये गये आदेशों से अनाच्छादित मामले राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के लिए लागू संहिताये/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होंगे।

18. निर्वचन।— इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय संबंधित विभाग को निर्देशित (Refer) किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, विभाग द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

19. कठिनाई दूर करने की शक्ति।— राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को क्रियान्वित करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को विधि विभाग के परामर्श एवं सरकार के अनुमोदन के बाद, ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, दूर कर सकेंगे।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प/नियमावली/आदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अनुसूची-I**चलन्त दस्ता सिपाही को प्रशिक्षण संस्थान में दी जाने वाली प्रशिक्षण के संबंध में।**

1. चलन्त दस्ता सिपाही एक सशस्त्र बल होगा, जिसे राज्य परिवहन आयुक्त के अधियाचना पर गृह विभाग द्वारा शस्त्र उपलब्ध कराया जायेगा।
2. चलन्त दस्ता सिपाहियों को समुचित, क्रमबद्ध शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में, जहाँ राज्य परिवहन आयुक्त उचित समझे उन्हें छः माह के लिए भेजा जायेगा। प्रशिक्षण निम्न रूप में दिया जायेगा—
 - (क) वे सारे प्रशिक्षण, जो पुलिस सिपाही को दी जाती है, प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह अवधि छः माह अथवा पुलिस सिपाही को दी जाने वाली प्रशिक्षण की अवधि होगी।
 - (ख) (i) नियुक्ति के समय दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का वैध चालक अनुज्ञप्ति अनिवार्य होगी।
(ii) हल्के व्यवसायिक एवं भारी व्यवसायिक वाहन के चालन का प्रशिक्षण क्रमशः एक-एक महीना दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान का चयन राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
 - (ग) उपर्युक्त प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त सोलह महीने का विभागीय व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षु के रूप में विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों में प्रदान की जायेगी, जिसमें कार्यकलाप एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में उपयुक्ता प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें पूर्ण प्रशिक्षित माना जायेगा।
3. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची प्राचार्य प्रशिक्षण संस्थान को कम से कम 15 दिनों पूर्व भेजी जायेगी। सूची में यदि कोई परिवर्तन की जाती है तो इसकी तात्कालिक सूचना प्राचार्य को दी जायेगी।
4. प्रत्येक उम्मीदवार को मोटरयान हस्तक की हिन्दी प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
5. संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले से प्रशिक्षण हेतु जा रहे उम्मीदवारों के पास पूर्ण यूनिफार्म उपलब्ध है।
6. संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी, चलन्त दस्ता सिपाही को प्रशिक्षण संस्थान में जाते समय निम्नलिखित कागजात संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को अग्रेसित करेंगे—
 - (क) प्रशिक्षण संस्थान में भेजे जाने से संबंधित जिला परिवहन कार्यालय का आदेश।
 - (ख) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र।
 - (ग) सेवापुस्त।
7. सभी प्रशिक्षु अपना वेतन उस जिला से प्राप्त करेंगे जिस जिला में प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित हो या जैसा राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश दिया जायेगा।
8. (क) चलन्त दस्ता सिपाही जो पूर्व से सेवा में है उन्हें पदस्थापन के जिला में वापस जाने हेतु विहित यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।
(ख) नवनियुक्तों को प्रथम योगदान के स्थल पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
9. विभागीय कानून एवं नियमों का प्रशिक्षण, इस हेतु प्रतिनियुक्त मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा दी जायेगी। यदि प्रशिक्षक के द्वारा यह पाया जाता है कि कोई चलन्त दस्ता सिपाही मानसिक/शारीरिक रूप से अयोग्य हो तो इसकी सूचना तत्काल प्राचार्य को देंगे एवं प्राचार्य अपने मंतव्य के साथ इसे राज्य परिवहन आयुक्त के अग्रेसित करेंगे। इस पर राज्य परिवहन आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
10. उक्त प्रशिक्षुओं का शारीरिक प्रशिक्षण पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा दी जायेगी।
11. व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए उक्त प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण संस्थान की अनुमति पर प्रतिनियुक्त परिवहन प्रशिक्षक के साथ जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आयोजित छापेमारी में जायेंगे एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
12. विधि एवं नियमों की परीक्षा राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा ली जायेगी। चलन्त दस्ता सिपाही लिखित परीक्षा देंगे। परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का 60 प्रतिशत होगा।
13. चलन्त दस्ता सिपाहियों को मानसिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण दी जायेगी जो निम्न प्रकार होगी—

- (1) ड्रील
 - (क) बिना शस्त्र का ड्रील
 - (ख) शारीरिक व्यायाम
 - (ग) लाठी ड्रील
 - (घ) शस्त्र के साथ ड्रील
 - (ङ) मोटरसाईकिल एवं चार पहिया वाहन चालन का प्रशिक्षण
- (2) मानसिक प्रशिक्षण
 - (क) हिन्दी अंग्रेजी पठन एवं लेखन
 - (ख) सामान्य ज्ञान-राज्य में कौन क्या है, प्रमुख रेलवे स्टेशन, प्रमुख नदियाँ, जिला एवं अनुमंडल का नाम परिवहन पदाधिकारियों का पद सोपान।
 - (ग) मौलिक परिवहन नियमों की प्रारंभिक जानकारी।
 - (घ) चलन्त दस्ता सिपाहियों के कर्तव्य एवं मौलिक दायित्वों की जानकारी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

16 जनवरी 2019

सं०-07/स्था०-28-03/2018 परि० अधिसूचना सं०-528, दिनांक 16.01.2019 के तहत निर्गत बिहार चलन्त दस्ता सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 16th January 2019

No. 07/Stha-28-03/2018 Tr. 528/ In exercise of the powers conferred by proviso of the Article-309 of the constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate recruitment on the sanctioned posts of Mobile squad constables and for the regulation of their service condition :-

1. **Short title, extent and commencement :-**

- (1) These rules shall be called the “Bihar Mobile Squad Constable cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2019”.
- (2) It shall extend to whole state of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. **Definitions :-** In these Rules, unless any thing other wise requires in the subject or context.

- (i) “Government” means Government of Bihar;
- (ii) “Appointing Authority” means State Transport Commissioner Bihar;
- (iii) “Department” means Transport Department, Bihar, Patna;
- (iv) “Cadre” means Bihar Mobile Squad Constable Cadre;
- (v) “Commissioner” means the State Transport Commissioner, Bihar;
- (vi) “Recruitment Agency” means the Central Police Selection Commission or any agency authorised by the State Government;
- (vii) “Schedule” means the Schedule attached to this regulation.

3. **Structure of the Cadre :-** (1) Ladder of post of this Cadre shall be as follows :-

Sl. No.	Name of the posts	Status of the posts
1.	Mobile squad constable	Basic Category (non Gazetted)
2.	Transport Havaldar	First promotion level (non Gazetted)
3.	Enforcement Assistant Sub-Inspector	Second promotion level (non Gazetted)

- (2) Pay scale/pay level and sanctioned posts of the said posts shall be the same as may be determined by the Government/Finance Department, time to time.

4. **Recruitment :-**

- (1) Recruitment against the regular posts of this cadre shall be made by the competent authority on the pay scale prescribed by the State Government and by the prescribed process.
- (2) Posts of Mobile Squad Constable shall be filled by direct recruitment.
- (3) All the posts of Transport Havaldar and Enforcement Assistant Sub-Inspector shall be filled on seniority-cum-eligibility basis from eligible Mobile Squad Constables and Transport Havaldar respectively.
- (4) Dependents of the dead members of this cadre shall be appointed on the basis of compassion against the sanctioned posts of the Mobile Squad Constable according to the rules made by the State Government.

5. **Qualifications for direct recruitment.**— It shall be an Armed Force. So educational qualifications, Physical parameters, Age-limit, other eligibility criterias and process of selection to the post of Mobile Squad Constable shall be the same as are prescribed for constable in the Bihar Police Manual-1978 and corresponding ammendments made, by notification by the Home Department. Moreover, valid driving licence of two wheeler and four wheeler shall be compulsory.

6. **Reservation.**— At the time of recruitment in this cadre or at the time of promotions, provisions for reservation/roster, for time being in forced shall be complied.

7. **Probation period.**—

- (1) The probation period for newly appointed employee by direct recruitment or on compassionate ground to the posts of Mobile squad constable shall be of two years.
- (2) It shall be compulsory to get heavy motor vehicle driving training/license in the probation period from the institute, determined by the State Transport Commissioner.
- (3) On service not found satisfactory during the probation period, for the reasons to be recorded in writing, the probation period for Mobile squad constable may be extended for six months. On service not found satisfactory even in the extended probation period, the employee may be removed from service giving him proper opportunity of hearing according to the principle of natural justice.

8. **Training :-**

- (1) Newly appointed Mobile squad constable shall be a unit of the Armed force and it is compulsory for them to obtain all those training which are necessary for a constable including arm training be aware of the rules knowledgeable to Mobile squad constable made under the Transport, Act as the commissioner may prescribe. This period shall be six months or the period of training to be given to the constable. After training, it will be compulsory to pass the examination conducted by the Training Institute.

Thereafter driving training of HMTV and HCV shall be imparted each for one month. Training Institute shall be selected by the State Transport Commissioner.

After obtaining successful above mentioned training a sixteen months long departmental practical training shall be imparted in different district transport offices as a trainee. After receiving certification from the districts, they shall be deemed to be completely trained. This period shall be probation period and after successful completion of the same, they shall be eligible for confirmation.

- (2) Promoted Transport Havaldar and Enforcement assistant Sub-Inspector shall have to attain a refresher course of two months and training related to the control on subordinates for the period as prescribed by State Transport Commissioner. Detail necessary directions for refresher course and for training related to the control on subordinates, shall be issued for the time being by the department. This force will

be an Arm Force to which arms will be issued by the Home Department on requisition of the commissioner.

9. **Confirmation.**— On successful completion of probation period and passing the conducted examination and after the completion of training from training institute, an examination related to the departmental rules shall be taken by the State Transport Commissioner prior to the confirmation of service. Service will be confirmed only after securing 60% marks in this examination.

10. **Increment .**— On different posts of this cadre, increment shall be admissible in the payscale determined by the State Government.

11. **Promotion :-**

- (1) Post of the basic category of this service, all the posts of Transport Havaldar and Enforcement assistant Sub-Inspector other than Mobile squad constable shall be filled by promotion. Posts of the promotion shall be as follows :
 - (a) Basic category – Mobile squad constable.
 - (b) First promotion at post – Transport Havaldar
 - (c) Second promotion at post – Enforcement assistant Sub-Inspector
- (2) Promotion may be given to the post of Transport Havaldar/ Enforcement assistant Sub-Inspector categories on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee. Whose service is confirmed and record of service is satisfactory.
- (3) Kalawadhi for promotion to the post of Transport Havaldar from Mobile squad constable and to the post of Enforcement assistant Sub-Inspector from Transport Havaldar shall be same as it is for promotion to the post of Havaldar from constable and to the post of Enforcement assistant Sub-Inspector from Transport Havaldar.
- (4) After promotion it shall be compulsory to pass in the examination conducted by the Training Institute for promotion.

12. **Inter-se-Seniority :-**

- (1) Inter-se-seniority of the members of this cadre who have been recruited directly on the recommendation of the recruitment agency by determined selection process in any calendar year, shall be according to the merit list provided by the Recruiting Agency.
- (2) The members of the cadre, who have been appointed to the posts of this cadre by promotions, unless otherwise any order has not been passed, shall be deemed to be appointed under these Rules and shall be deemed to be the members of this cadre. Their Inter-se-seniority in respect of those who have been appointed by direct recruitment, shall be determined from the date of their appointments except the officers appointed by direct recruitment.
- (3) In case of any dispute and irrelevancy, the seniority shall be determined by the appointing authority on the basis of the provisions prescribed by the General Administration Department in this regard.

13. **Status of the cadre.**—The Status of the cadre shall be according to the classification issued by the state government from time to time. It shall be a state level cadre.

14. **Transfer and posting :-**

- (1) Transfer and posting of the employees of this cadre shall be made in conformity with the orders/instructions issued by the State Transport Commissioner from time to time.
- (2) (a) Transfer of the Mobile squad constables may be made by the State Transport Commissioner in the different districts of Bihar.
- (b) Transfer of the Transport Hawaldar posted in any district may be made by the State Transport Commissioner.
- (c) Posting/transfer of Enforcement Assistant Sub-Inspector may be made in different districts of the state by the State Transport Commissioner.

15. **Duties and Responsibilities.**— The employees of this cadre shall do all those duties which fall under their jurisdiction as prescribed in Motor Vehicle Act, 1988 and Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 and as prescribed by the State Transport Commissioner from time to time.

16. **Discipline, Appeal and settlements.**— Bihar Government service (classification, control and appeal) rule, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable to all employees of this cadre.

17. **Miscellaneous subject.**— Subjects, which are not covered by these Rules or orders issued thereunder, shall be governed by the code/rules/directions applicable for the employees of appropriate level of the State Government.

18. **Interpretation.**— If any doubt arises, related to the interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the concerned department and the decision taken by the department in this respect shall be final, after consultation with the Law department.

19. **Power of solving issues.**— Difficulties arising in the implementation of any provision of these Rules, shall be removed by The Transport Commissioner, Bihar after consultation with the Law Department and with the approval of the State Government, by such general or special order, which is not inconsistent to the provisions of these Rules.

20. **Repeal and Savings :-**

- (1) Resolution, Rules, Orders etc. issued previously by the department from time to time in this respect are hereby repealed.
- (2) Not with standing such any repeal thing done or any action taken under the said Resolutions, Rules or Orders shall be deemed to be done or taken under these Rules as If these Rules was enforead on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to Government.

Schedule – I

Regarding the training imparted to Mobile Squad Constable in Training Centres :-

1. Mobile Squad Constable shall be an Armed force to whom arms shall be provided by the Home Department after requisition made by the State Transport Commissioner.

2. Mobile Squad Constables shall be sent for proper physical and Mental training for six months to different training centres as deemed proper by State Transport Commissioner training shall be imparted in following ways :-

- (a) They will have to undergo all those training which are necessary for a police constable. The period of this training shall be either six months or the period required for the training of a police constable.
- (b)(i) It shall be compulsory to have a valid driving licence of two and four wheeler licence at the time of joining.
- (ii) Training for driving Light commercial vehicle and heavy commercial vehicle shall be imparted for six month each. Training centre shall be selected by State Transport Commissioner.
- (c) After successful completion of above mentioned training a training as trainee in different District Transport Offices shall be imparted for sixteen months.

3. List of selected candidates for training made by the appointing authority shall be sent to the principal of the training institute. If any change is made in the said list it shall be immediately informed to the principal.

4. Hindi version of 'Motor Vehicle Manual' shall be provided to every candidate.

5. The District Transport Officer of the concerned district shall ensure that all the selected candidates from this district have complete uniforms.

6. Following documents shall be forwarded to the training institute by the District Transport Officer at the time of sending candidates to the training centres.

- (a) Order of concerned District Transport Officer regarding training.
- (b) Last pay slip.
- (c) Service book.

7. Salary of the trainees shall be disbursed by the district in which training institute is situated or as ordered by State Transport Commissioner.

8. (a) Traveling allowances for nuturing to the district of posting shal be permissible for the candidates for those who are already in service.

(b) No travelling allowance shall be permissible to the newly appointed constables for first joining.

9. Training related to Departmental laws and rules shall be given by the MVI/ESI deputed for this. If it is found by the trainer that any constable is physically or mentally unfit he shall report it to the principal and same shall be ded to the State Transport Commissioner by Principal with his opinion. Decision of State Transport Commissioner shall be final.

10. Physical training to the trainees shall be imparted by the Police Inspector or by the officer of equivalent cadre.

11. For practical training of the constable, with the permission of the training institute constables with deputed trainer shall take part in _____ made by the District Transport Officer.

12. Examination related to the rules and laws shall be organised by State Transport Commissioner. RSC shall appear in a written examination. It shall be necessary to have of for being passed.

13. RSC shall have to undergo following mental and physical training.

(i) Drill

(a) Drill without arms

(b) Physical exercise

(c) Lath drill

(d) Drill with arms

(e) Training of driving of Motorcycle and four wheeler.

(ii) Mental training.

(a) Hindi-English reading and writing.

(b) General knowledge.

(c) Primary knowledge of fundamental transport rules.

(d) Knowledge of the duty and responsbity of RSC.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 53-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>